

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (खैरत-विजारा)

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

दिनांक

सुबह 1 अक्टूबर

201-25

वकील वादी उपरान प्रतिवादीगण की मूल्पाद में एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी की एक पक्षीय क्लस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि विवादित भारावी में पक्षकारान ना ही वादी है एवं ना ही प्रतिवादी है। पक्षकारान के एक-दूसरे मूल्पाद में राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाने के उपरांत किया जायेगा। लेकिन वर्तमान में पक्षकारान के मध्य कोई विवाद ना है। इसलिए प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः विवादित भारावीखण्ड नं० 26, 102, 490, 491, 492, 820, 6/875, 736, 730 वामे बजम हसंगपुर तहसील वि० बास त्थार पक्ष कौरान को तांफ्तैल दावा र-शगन आदेश से पाबंद किया जाता है। कि पक्षकारान विवादित भारावी के राजस्व रिकार्ड एवं मैके की यथास्थिति बनाये ल्येके आदेश दिने जाते है। प्रार्थना पत्र फ्तैल शुमार होकर सलमग मूल्पाद रहे।

14